तिथि तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा निविदा प्रपत्र प्राप्त नहीं किये गये इस कारण पुनः द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन कार्यालयीन पत्र क्र 1378/रा.शा./2023 दिनांक 21.03.2023 के द्वारा निविदा आमंत्रण दिनांक 24.3.2023 नियत की गयी थी जिसमें निविदा प्रपत्र प्राप्त करने का समय दोपहर 1 बजे तथा प्रस्तुत करने का समय 3 बजे रखा गया था तथा 24.3.2023 को तीन बजे तक निविदा प्रस्तुत न करने की दशा में 27.3.2023 को अपरांह 4 बजे तक निविदा प्रस्तुत करने का समय निर्धारित किया गया था जिसे दिव्य एक्सप्रेस व नव भारत समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया गया था तथा 27.03.2023 को भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा निविदा प्रपत्र प्राप्त न करने के कारण तृतीय निविदा सूचना का प्रकाशन कार्यालयीन पत्र क्र 51/रा.शा./2023 दिनांक 18.4.2023 के द्वारा दिनांक 25.4.2023 को दो बजे तक मोहरबंद लिफाफे में अल्पकालीन निविदा जिसमें न्यूनतम दर रूपये 19,97,000/– जिसमें अमानत राशि रूपये 2,00,000/– आमंत्रित की गयी थी जिसकी अवधि 01.05.2023 से 31.03.2024 तक 11 माह की अवधि के लिये थी जिसका प्रकाशन दिव्य एक्सप्रेस एवं संवाद कुज सिवनी मे करवाया गया था तथा 25.04.2023 को समय दो बजे तक दो निविदाकारों के द्वारा बंद लिफाफे मे अपने निविदा प्रस्तुत की गयी थी जिसमे शोएब खान वल्द नवाब खान निवासी केजीएन कालोनी, भगतसिंह वार्ड द्वारा प्रस्तुत निविदा रूपये 8,05000/– उच्चतम निविदा दर प्रस्तुत की गयी तथा उक्त निविदा प्राप्त होने के उपरांत उक्त निविदा को पी.आई.सी. की बैठक दिनांक 28.04.2023 में प्रस्ताव क्रमांक 2 के रूप मे रखा गया था जिसे पीआईसी के द्वारा विभागीय प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 मे विभागीय तौर पर वसूली हेतु लगे कर्मचारी के वेतन एवं भत्ते का व्यय रूपये 8,24,070/– होना बताया गया था तथा कर्मचारियों के द्वारा उसकी वसूली रूपये 6,15,640/– की गयी थी ऐसा बताया गया जिसके कारण पी.आई.सी. के द्वारा उच्चतम निविदा दर राशि रूपये 8,05,000/– और विभागीय तौर पर वसूली की गयी राशि कर्मचारी के वेतन स्टेशनरी प्रिंटिंग व्यय इत्यादि की तुलना मे प्राप्त निविदा दर रूपये 8,05,000/– उच्चतम दर होने से विचार विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से प्रस्ताव को स्वीकार कर पारित किया गया जिसके आधार पर शोएब खान को ठेका दिया गया था तथा ठेके की नीलामी हेतु जारी निविदा सूचना मे मध्य प्रदेश नगर पालिका (वित्त एवं लेखा) नियम, 2018 में वर्णित प्रावधानों का पालन न करने का प्रश्न है उसका संपूर्ण दायित्व कार्यालय प्रमुख, मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होता है तथा मेरे द्वारा किसी भी व्यक्ति विशेष को लाभ प्रदान किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है क्योकि समाचार पत्र मे निविदा का जो प्रकाशन करवाया जा रहा है उसमें कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है तथा वर्ष 2023–24 के लिये वाहन पार्किंग वसूली विभाग के द्वारा की जा रही वसूली रूपये 6,15,640/– से ज्यादा रूपये 8,05,000/– में पी.आई.सी. द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया है इस कारण मेरे द्वारा निकाय को कोई हानि नही पहुंचायी गयी है और मै किसी प्रकार से उत्तरदायी नही हूँ।"

विवेचना–2

अधिरोपित आरोप के संबंध में श्री शफीक खान, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद सिवनी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर तथा सुनवाई के दौरान प्रस्तुत अभ्यावेदन के साथ संलग्न अभिलेखों का उपलब्ध अभिलेखों तथा नियमों के प्रकाश में परीक्षण किया गया।

श्री शफीक खान द्वारा अपने प्रतिवाद उत्तर में उल्लेख किया गया है कि प्राइवेट बस स्टैंड वाहन पार्किंग शुल्क का ठेका दिए जाने का निर्णय परिषद के साधारण सम्मेलन दिनांक 03.03.2023 के प्रस्ताव क्रमांक 21 के अनुसार लिया गया है। उनके द्वारा वाहन ठेका नीलामी का ऑफर बुलाए जाने के संबंध में नियमों में वर्णित प्रक्रिया के पालन के संबंध में उल्लेख किया गया है

कि यह दायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का है तथा यदि निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है तो इसके लिए वे उत्तरदायी हैं। श्री शफीक खान द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही को नियमानुसार बताया गया है।

प्रकरण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2023–24 हेतु वाहन पार्किंग वसूली टेका हेतु प्रथम निविदा आमंत्रण की सूचना दिनांक 03.03.2023 को जारी की गई थी तथा ऑफर प्रस्तुत करने की तिथि 21.03.2023 एवं 24.03.2023 निर्धारित की गई। ठेके की न्यूनतम राशि रुपए 21,78,000/– निर्धारित की गई। श्री शफीक खान द्वारा सुनवाई के दौरान प्रस्तुत अभ्यावेदन के साथ स्थानीय अखबार संवाद कुंज दिनांक 14.03.2023 को प्रकाशित अंक की छायाप्रति संलग्न की गई है, जिसमें वाहन पार्किंग वसूली ठेका की निविदा आमंत्रण की सूचना का प्रकाशन किया गया है। विज्ञप्ति सूचना के प्रकाशन दिनांक से ऑफर प्रस्तुत करने के नियत दिनांक के बीच मात्र दस दिवस का समय दिया गया है, जो मध्यप्रदेश नगर पालिका (वित्त एवं लेखा) नियम, 2018 के नियम 91 के अनुरूप नहीं है। प्रथम निविदा में कोई ऑफर प्राप्त नहीं होने पर द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना कब जारी की गई। प्रतिवाद उत्तर/अभ्यावेदन के साथ उनके द्वारा द्वितीय निविदा आमंत्रण की विज्ञप्ति की प्रति एवं निविदा आमंत्रण सूचना किस अखबार में प्रकाशित करायी गयी, इसकी प्रति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रकरण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2023–24 के 11 माह के लिए वाहन पार्किंग वसूली ठेका हेतु तृतीय निविदा आमंत्रण सूचना दिनांक 18.04.2023 को जारी की गई, जिसमें दिनांक 25.04.2023 अपरान्ह 2:00 बजे तक ऑफर प्रस्तुत करने का समय निर्धारित किया गया अर्थात मात्र पांच दिवस का समय दिया गया। ठेका की निर्धारित राशि 11 माह के लिए राशि रूपये 19,57,000/– निर्धारित की गई। निर्धारित अवधि में दो ऑफर प्राप्त हुए, जिसमें उच्चतम ऑफर श्री शोएब खान पिता श्री नवाब खान द्वारा रुपये 8,05,000/– प्रस्तुत किया गया। उच्चतम ऑफर की स्वीकृति प्रेसिडेंट–इन–काउंसिल के प्रस्ताव क्रमांक–2, दिनांक 28.04.2023 से प्राप्त की गई। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ठेके की न्यूनतम राशि रूपये 21,78,000/– का निर्धारण परिषद द्वारा किया गया था। तृतीय निविदा आमंत्रण जो 11 माह के लिये था, हेतु ठेके की न्यूनतम राशि का निर्धारण परिषद द्वारा किया जाना नहीं पाया गया है। नियमानुसार प्रकरण परिषद के समक्ष प्रस्तुत कर सक्षम स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक था, जिसका पालन नहीं किया गया है। ठेके की स्वीकृत बोली (प्रस्ताव) रूपये 8,05,000/– परिषद द्वारा निर्धारित राशि से बहुत कम होने के बाद भी प्रकरण परिषद के समक्ष नही रखा गया तथा यहाँ भी नियमों का उल्लंघन किया गया।

इसी प्रकार वर्ष 2024–25 के लिए वाहन पार्किंग वसूली ठेका हेतु निर्धारित राशि रूपये 9,66,000/– तय की जाकर ठेका दिए जाने की स्वीकृति प्रेसिडेंट–इन–काउंसिल से प्राप्त की गई तथा प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना जारी की गई। सूचना कब जारी की गई, अंतिम तिथि क्या थी, इसका कोई उल्लेख जांच प्रतिवेदन में नहीं है और न ही श्री शफीक खान द्वारा अपने प्रतिवाद उत्तर या अभ्यावेदन में, इस संबंध में कोई तथ्य दिये गये हैं। इस संबंध में कोई अभिलेख की प्रति भी संलग्न नहीं की गई है, किन्तु जांच प्रतिवेदन से परिलक्षित होता है कि वाहन पार्किंग वसूली ठेका वर्ष 2024–25 के लिए निविदा के प्रकाशन में नियमों में वर्णित समयावधि तथा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तथा द्वितीय निविदा आमंत्रण में निविदाकार श्री शोएब खान पिता श्री नवाब खान द्वारा अधिकतम राशि रूपये 9,68,000/– की प्रेसिडेंट–इन–काउंसिल के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त की गई।

उल्लेखनीय है कि प्रत्येक नगर पालिका के लिये किसी कार्य या कोई वस्तु, सामग्री एवं सेवा जिसका मूल्य 1 लाख से अधिक हो, के लिये निविदा प्रकाशन की प्रक्रिया मध्यप्रदेश नगर पालिका (वित्त एवं लेखा) नियम, 2018 के नियम 91 में निर्धारित की गई है। उक्त नियम के उपनियम (1) के खण्ड (क) में निम्नानुसार प्रावधान हैं:–

91. निविदाओं का प्रकाशन:–

(1) प्रत्येक नगरपालिका के लिए किसी कार्य या कोई वस्तु सामग्री एवं सेवा, जिसका मूल्य एक लाख रूपए से अधिक हो, के लिए निविदा प्रकाशन की प्रक्रिया निम्न रूप में होगी:–

(क) (एक) एक लाख रूपये से अधिक मूल्य की प्रत्येक निविदा के लिए ई–टेन्डरिंग प्रक्रिया अपनाई जायेगी;

(दो) एक लाख रुपये एवं अधिक मूल्य की प्रत्येक निविदा के लिए फार्म 28 में दिए अनुसार विज्ञापन क्रमांक, कार्य का नाम, कार्य का अनुमानित मूल्य, निविदा जिस वेबसाईट पर उपलब्ध होगी उसके विवरण के साथ राज्य में व्यापक रूप से प्रसारित एक हिन्दी समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा;

(तीन) एक लाख रुपये एवं अधिक मूल्य की निविदाओं के लिए उपरोक्त उप कण्डिका (दो) में वर्णित विषय अनुसार राज्य में व्यापक रूप से प्रसारित कम से कम एक दैनिक हिन्दी समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना आवश्यक होगा;

इसी प्रकार नियम में निविदा आमंत्रण की अवधि के प्रावधान किये गये हैं, जो इस प्रकार हैं:–

"(ग) दस लाख रूपये से कम मूल्य के किसी कार्यों, सामग्री एवं सेवाओं के लिए निविदा आमंत्रण के लिए प्रथम आमंत्रण में निविदा प्रस्तुत करने की अवधि 15 दिवस से कम नहीं होगी एवं निविदा के दूसरे आमंत्रण के लिए निविदा प्रस्तुत करने की अवधि विज्ञापन प्रकाशन की दिनांक से सात दिवस होगी। दस लाख रूपये से अधिक मूल्य के कार्यों, सामग्री एवं सेवाओं के लिए निविदा प्रस्तुत करने की अवधि प्रकाशन की दिनांक से तीस दिवस से कम नहीं होगी एवं दूसरी बार या निविदा के पश्चातवर्ती आमंत्रण में निविदा प्रस्तुत करने की अवधि 15 दिवस की होगी।"

निविदा की समयावधि को घटाने के संबंध में नियम 91 के उपनियम (2) में प्रावधान किये गये हैं, जो इस प्रकार हैं:–

"(2) इन नियमों के नियम 239 में प्रदत्त वित्तीय शक्तियों के अनुसार प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए निविदा के दूसरे आमंत्रण के प्रकरण में समय सीमा को घटाने पर विचार किया जा सकेगा।"

नगर पालिका परिषद, सिवनी द्वारा वाहन पार्किंग शुल्क वसूली ठेका हेतु निविदा आमंत्रण में उपरोक्त वर्णित नियमों का कहीं पालन नहीं किया गया है। अभिलेखों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर व्यक्ति विशेष को निर्धारित निविदा राशि से कम राशि पर ठेका देकर अवांछित लाभ प्रदान करने के लिये एवं स्वयं अवांछित लाभ प्राप्त करने की मंशा से नगर पालिका परिषद, सिवनी के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अध्यक्ष द्वारा संगनमत होकर उपरोक्तानुसार कार्यवाही की गई है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023–24 के लिये वाहन पार्किंग शुल्क वसूली ठेके से कराये जाने की स्वीकृति परिषद द्वारा प्रदान की गई थी तथा परिषद की स्वीकृति से ही ठेके की राशि रुपये 21,76,000/–निर्धारित की गई थी। अधिकतम ऑफर की राशि भी विवरण सहित स्वीकृति हेतु परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था, किन्तु ऐसा नहीं किया गया। यहीं नही निर्धारित राशि से कम राशि के प्रस्ताव स्वीकृति के संबंध में कोई तथ्यात्मक विवरण भी अभिलेखों में नहीं दिया गया। वर्ष 2023–24 के लिये वाहन पार्किंग शुल्क ठेका निर्धारित राशि से बहुत कम में स्वीकृत किया जाकर इसी आधार पर वर्ष 2024–25 के लिये ठेके की राशि मात्र रूपये 9,66,000/– निर्धारित कर राशि रूपये 9,68,000/– में उसी व्यक्ति अर्थात शोएब खान पिता श्री नबाव खान को ही ठेका आवंटित कर दिया गया। वर्ष 2024–25 के लिये भी परिषद से सक्षम स्वीकृति प्राप्त नही की गई। प्रकरण नीतिगत तथा सम्पूर्ण नगर से संबंधित होने के कारण निर्णय प्रेसीडेंट–इन–काउंसिल के अधिकार क्षेत्र से बाहर का था तथा निर्णय परिषद द्वारा ही लिया जाना था। सम्पूर्ण प्रकरण के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि श्री शोएब खान पिता श्री नबाव खान को अवांछित

लाभ पहुंचाने के लिये वाहन पार्किंग शुल्क ठेके की नीलामी में नियमों में वर्णित प्रक्रिया का खुला उल्लंघन किया गया है।

निविदा आमंत्रण में नियमानुसार तथा पारदर्शी प्रक्रिया का पालन नहीं करने के कारण नगर पालिका परिषद, सिवनी को वर्ष 2023–24 के लिये रूपये 11,92,000/– तथा लगभग इतनी ही राशि की वर्ष 2024–25 में आर्थिक हानि हुई है, जिसके लिये नगर पालिका परिषद, सिवनी के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ–साथ नगर पालिका परिषद, अध्यक्ष, श्री शफीक खान भी उत्तरदायी हैं, उन पर अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाया जाता है।

आरोप क्रमांक–13

यह कि उक्त पदावधि के दौरान आपके द्वारा नगर पालिका परिषद सिवनी में परिषद द्वारा दिनांक 03.03.2023 को पारित प्रस्ताव क्रमांक 03 के अनुसार अस्थायी दखल की वसूली ठेका पद्धति से किए जाने का निर्णय लिया गया तथा वर्ष 2023–24 के लिए ठेके की राशि रुपये 19,45,800/– निर्धारित की गई। दिनांक 03.03.2023 को प्रथम निविदा आमंत्रण सूचना जारी की गई, जिसमें उल्लेख किया गया कि सील बंद निविदाएं दिनांक 20.03.2023 समय 3:00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है। दिनांक 20.03.2023 तक निविदाएं प्राप्त न होने की दशा में समय–सीमा को दिनांक 21.03.2023 तथा 24.03.2023 किया गया। उपरोक्त निविदा आमंत्रण की सूचना स्थानीय दैनिक समाचार–पत्र संवाद कुंज सिवनी के दिनांक 14.03.2023 के अंक में प्रकाशित कराई गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार प्रथम निविदा आमंत्रण में कोई निविदा फॉर्म प्राप्त नहीं होने से विस्तारित समय–सीमा के अंदर ही दिनांक 21.03.2023 को द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना जारी की गई, जिसका प्रकाशन स्थानीय समाचार–पत्र दिव्य एक्सप्रेस में दिनांक 23.03.2023 को कराया गया, जिसमें मात्र एक दिवस की समय–सीमा संभावित निविदाकारों को प्रदान की गई। द्वितीय निविदा आमंत्रण में उच्चतम ऑफर रुपये 15,11,888/– श्री पवन कुमार पिता श्री रमेश कुमार का प्राप्त हुआ, जिसे निर्धारित राशि से कम होने के कारण पी.आई.सी. द्वारा निरस्त किया गया तथा तीसरी बार निविदा आमंत्रित करने के निर्देश दिये गये। तदोपरांत तृतीय बार अस्थायी दखल फीस वसूली ठेका (वित्तीय वर्ष 2023–24) की निविदा आमंत्रित की गई, जिसमें चार ऑफर प्राप्त हुए, जिनमें अधिकतम ऑफर श्री शोएब खां आत्मज श्री नवाब खां का रुपये 15,31,000/– प्राप्त हुआ, जिसे पी. आई.सी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

जांच प्रतिवेदन अनुसार अस्थायी दखल फीस वसूली ठेका (वित्तीय वर्ष 2023–24) में नियमों में वर्णित प्रावधान अनुसार ई–टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। निविदा आमंत्रण एवं प्रकाशन में मध्यप्रदेश नगर पालिका (वित्त एवं लेखा) नियम, 2018 के नियम 91 में वर्णित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। निविदा प्रक्रिया पूर्णतः अपारदर्शी तथा दूषित थी तथा ऐसा आभास होता है कि व्यक्ति विशेष को अस्थायी दखल फीस वसूली ठेका देने के उद्देश्य से दोषपूर्ण निविदा प्रक्रिया अपनाई गई। अस्थायी दखल फीस वसूली ठेका के लिए निर्धारित राशि रूपये 19,45,800/– थी, जिसकी अनदेखी करते हुए श्री शोएब खां को मात्र राशि रूपये 15,31,000/– में ठेका दिया गया तथा नगर पालिका परिषद सिवनी को रुपये 4,14,800/– की आर्थिक हानि पहुंचाई गई। अधिकतम ऑफर की स्वीकृति भी परिषद के स्थान पर पी.आई.सी. से प्राप्त की गई, जो विधिसम्मत नहीं है, जिसके लिए निकाय के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ–साथ आप भी पूर्णतः उत्तरदायी प्रतीत होते है।

प्रतिवाद उत्तर–13

अधिरोपित आरोप के संबंध में श्री शफीक खान, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद सिवनी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर निम्नानुसार है :–

"वास्तविक तथ्य यह है कि मेरे कार्यकाल में निकाय के द्वारा परिषद के साधारण सम्मेलन की बैठक दिनांक 03.03.2023 को पारित प्रस्ताव क्रमांक–3 के अनुसार

अस्थायी दखल फीस वसूली का ठेका पद्धति से किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिये जाने के लिये वर्ष 2023–24 के लिये निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन कार्यालय के पत्र क्रमांक 1316, दिनांक 03.03.2023 द्वारा 20.03.2023 समय 3 बजे तक मोहर बंद लिफाफे में आहुत की गयी थी जिसमे ठेके की न्यूनतम दर रूपये 26,62,000/– निर्धारित थी तथा अमानत राशि रूपये 2,66,000/– रखी गयी थी तथा उक्त सूचना का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र संवाद कुंज में करवाया गया था तथा निर्धारित अवधि तक निविदा प्राप्त न होने पर दिनांक 21.3.2023 एवं दिनांक 24.03.2024 तक प्रस्तुत करने के लिये प्रकाशित किया गया था किन्तु दिनांक 17.3.2023 तक किसी भी निविदाकार ने निविदा प्रपत्र प्राप्त न करने के कारण पुनः दिनांक 21.3.2023 की द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1374, दिनांक 21.03.2023 को जारी करते हुये उसका प्रकाशन दिव्य एक्सप्रेस एवं नव भारत समाचार पत्र में किया गया तथा द्वितीय निविदा की अवधि दिनांक 28.3.2023 को तीन बजे तक प्रस्तुत करने की रखी गयी थी तथा 27.03.2023 को तीन निविदाकारों के द्वारा निविदा प्रपत्र लिये गये तथा मोहरबंद अवस्था में कार्यालय में प्रस्तुत किये गये जिसे खोलने पर पवन कुमार भगत सिंह वार्ड की सर्वाधिक बोली रूपये 15,11,888/– की थी जो न्यूनतम दर रूपये 26,62,000/– से कम प्राप्त होने से स्वीकृति के लिये पी.आई.सी. के समक्ष रखा गया तथा पी.आई.सी. के द्वारा विचार विमर्श करने के उपरांत उसे निरस्त कर दिया गया तथा दिनांक 12.4.2023 को पी.आई.सी. के प्रस्ताव क्रमांक 40 में लिये गये निर्णय की अवधि के अनुसार 11 माह की अवधि के लिये पुनः निविदा आहूत करने का निर्णय लेकर अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना तृतीय का प्रकाशन कार्यालय पत्र क्रमांक 51/रा.शा./न.पा./2023, दिनांक 18.04.23 के माध्मय से दिनांक 25.4.23 को दोपहर 02 बजे आमन्त्रित की गयी, जिसमें 4 निविदाकारों के द्वारा भाग लिया गया तथा अधिकतम ऑफर शोएब खान के द्वारा रूपये 15,31,000/– था जिसे पी.आई.सी. के समक्ष विचार विमर्श के लिये रखा गया तथा उसे स्वीकृत किया गया चूकि विभाग के द्वारा वसूली रूपये 1,53,220/– की थी तथा कर्मचारी के वेतन भत्ते स्टेशनरी प्रिंटिंग व्यय इत्यादि की तुलना में प्राप्त निविदा दर रूपये 15,31,000/– की उच्चतम निविदा दर होने के कारण सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा मध्य प्रदेश नगर पालिका (लेखा एवं वित्त) नियम, 2018 के नियम 239 में पी.आई.सी. को वित्तीय शक्तियों 5 लाख से अधिक किन्तु 20 लाख से अधिक नही की प्रदान की गयी है जिसके लिये परिषद से स्वीकृति प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं है मेरे द्वारा नियमानुसार निकाय हित में कार्य किया है तथा निकाय को किसी भी प्रकार से आर्थिक क्षति नही पहुंचायी गयी है इस प्रकार उक्त आरोप पूर्णतः निराधार होने से निरस्त किये जाने योग्य है।"

<u>विवेचना–13</u>

अधिरोपित आरोप के संबंध में श्री शफीक खान, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, सिवनी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्रस्तुत अभ्यावेदन का संलग्न अभिलेखों तथा नियमों के प्रकाश में परीक्षण किया गया। आरोप में श्री शफीक खान को वर्ष 2023–24 के लिये अस्थायी दखल फीस वसूली ठेका हेतु आमंत्रित की गई निविदा प्रक्रिया में मध्यप्रदेश नगर पालिका (वित्त एवं लेखा) नियम, 2018 के नियम 91 में वर्णित प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने तथा ठेका के लिये निर्धारित राशि से कम राशि की बोली स्वीकृत कर निकाय को आर्थिक हानि पहुंचाने के लिये आक्षेपित किया गया है।

श्री शफीक खान द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2023–24 के लिये अस्थायी दखल फीस वसूली ठेका पद्धति से किये जाने का निर्णय परिषद के सम्मेलन दिनांक 03.03.2023 के प्रस्ताव क्रमांक 23 द्वारा लिया गया है। अभ्यावेदन के साथ परिषद प्रस्ताव